

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

कामांक: एफ.2(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :-

14 MAY 2012

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटित किये जाते हैं :—

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	61/05	श्री मधुसूदन शर्मा, आर.ए.एस. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।	ग/44, गांधीनगर	31.3.2016
2.	32/2011	डॉ राजीव यादव सहायक प्रोफेसर, पी.एस.एम. विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एम-11, गांधीनगर	30.4.2032
3.	33/2011	श्री पदमचन्द्र गुरुद्य लेखाधिकारी, निदेशालय गुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	एम-14, गांधीनगर	30.11.2029
4.	7/2012	श्री उपेन्द्र पाल सिंह उप विधि परामर्शी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर	301, तृतीय तल मॉडल टाउन	30.9.2017
5.	8/2012	श्री छोटे लाल मीणा अधीशाधी अभियन्ता, पी.एम.यू. आर.डब्ल्यू.आर.एस. पी. कार्यालय गुरुद्य अभियन्ता गुण नियंत्रक (ईएपी) जल संरक्षण विभाग जयपुर।	504, पंचम तल मॉडल टाउन	30.4.2028

शर्तः—

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/वध्यों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी गूल रिथित में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाधी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निस्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहें हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
 - कम संख्या 4 तथा 5 पर अंकित अधिकारियों से “कॉमन सुविधा” शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायें।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४

(मनमूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिविधि निम्नांकित को सूचनाये एवं आदेशक कार्यकारी हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सविवालय, जयपुर।
4. मुख्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह विकितसा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीकारक, सवाई मानसिंह विकितसा लय, जयपुर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन शासनी विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, विकितसा एवं स्वास्थ्य रोगाये, जयपुर।
11. मुख्य अधिकारी, जल रांसाधन विभाग, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग द्वी वेबसाइट पर अपडेट करने का अम लेखें।
13. मुख्य लेखाधिकारी/ कोषाधिकारी, शासन सविवालय, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
15. अधिकारी अधिकारी, साठनियोगी/ जन स्वास्त्रामियोगी/ जयपुर विभागीयम लिंग, गांधीनगर/ मालवीयनगर, जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार वितरण कठौती की कार्यकारी को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अधिक में कब्जा लेने में असफल रहने की रिप्पति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
17. रामरत संबंधित अधिकारीगण।
18. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. सहायक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/ मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
20. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (मुप-5) विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रविं।
22. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (मुप-2) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

(रमेश्वर बर्हवा)
शासन सहायक सचिव